राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प. 8(3)कार्मिक/क–2/18 जयपुर, दिनांक :– 2 MAY 2018

:: परिपत्र ::

विषयः–समस्त भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क निर्धारण के संबंध में।

राज्य सरकार के प्रचलित सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड एवं संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न भर्ती/परीक्षाओं/चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के समान ही आवेदन शुल्क निर्धारित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101802287 दिनांक 23.04.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव